IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

ORIGINAL APPLICATION NO. 709 OF 2023

IN THE MATTER OF:

Lal Ji Kumar …Applicant

Versus

Divisional Forest officer-Nainital Forest Division & Ors.

Respondents

I N D E X

S.No.	Particulars	Pages
1.	Joint Inspection Report	1-4
2.	Annexure-KA: Copy of letter dated 28.01.2021 Divisional Forest Officer.	5-8
3.	Annexure-KA-1: Copy of survey report dated 24.02.2024	9-11
4.	Annexure-Kha: Copy of khatoni.	12-16
5.	Annexure-Ga: Copy of Map.	17
4.	Annexure-Gha: Copy of Map.	18
5.	Annexure-Cha: Copy of Map	19-24

Filed by

[Uttarakhand Pollution Control Board]

New Delhi
Dated: 13.02.2024

–संयुक्त निरीक्षण आख्या–

मा. एन.जी.टी. में योजित वाद मूल आवेदन संख्या 709/2023 लाल जी कुमार बनाम प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.11.2023 से प्राप्त निर्देशों के कम में कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के 02/30–जी.सी./2023–24 दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में सदस्य सचिव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–743/2023/1145 दिनांक 22.12.2023 के कम में क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक रिट/24/2440–1081 दिनांक 03 जनवरी, 2024 द्वारा नियत तिथि 06.01.2024 को विषयगत प्रकरण में संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी नैनीताल, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नैनीताल, उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल, वन क्षेत्राधिकारी वन क्षेत्र मनोरा, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक एवं अन्य उपस्थित थे। शिकायतकर्ता श्री लाल जी कुमार सूचना के वावजूद भी मौके पर उपस्थित नहीं थे। दिनांक 06.01.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1– मा. राष्टीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी.), प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली द्वारा वाद मूल आवेदन संख्या 709/2023 लाल जी कुमार बनाम प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.11.2023 द्वारा निर्देशित किया गया कि–

- The applicant has stated in the application that Gethiya, a small revenue village having area approximately 5 to 7 hectares, is located on a hill top in Nainital, Uttarakhand and is surrounded on all its side by the reserved forest. Some unknown persons have dismantled the boundary pillars demarking the boundary lines between the forest land and revenue land and have made encroachments over the forest land including Khasra numbers 421, 423 and 424. Complaints were made to the concerned authorities but no action has been taken on the same.
- Notices along with copies of the application and documents attached therewith be issued to the respondents requiring them to file their reply/response to the allegations made in the application within two months through E-filing portal (not through E-mail) in the form of searchable PDF/OCR Support PDF (not in the form of Image PDF).
- In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee

रा. नि.

comprising of representatives of Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB), Divisional Forest Officer (DFO) and District Magistrate (DM), Nainital and direct the same to undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and concerned persons, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. UKPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

➢ Factual and Action taken Report may be submitted through UKPCB within two months through E-filing portal (not through E-mail) in the form of searchable PDF/OCR Support PDF (not in the form of Image PDF).

2– राजस्व अभिलेखों के अनुसार ग्राम गेठिया पट्टी भवाली के खसरा नम्बर 397, 421, 423, 424 की खतौनी के अवलोकन से खसरा नम्बर 397 रकबा 0.307 है., 421 रकबा 0.135 है., 423 रकबा 0.129 है. कुल 03 खसरा नम्बरों का रकबा 0.571 हेक्टेयर वर्तमान समय में नॉन ज्येड0ए0 खतौनी खाता संख्या 70 में सरकार उत्तराखण्ड श्रेणी 09(3)ड़ वंजर के रूप में दर्ज अभिलेख है जो मौके पर वंजर स्थिति में ही है जो कि वास्तविक स्वरूप में है। जिन पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण होना नही पाया गया। संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान वन विभाग के द्वारा भी खसरा नम्बरों 397, 421, 423 को अपने क्षेत्र से बाहर होना वताया गया है। परन्तु खसरा संख्या 424 में वन विभाग के द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत होना वताया गया जबकि राजस्व विभाग के अनुसार खसरा नम्बर 424 रकबा 1.097 हेक्टेयर श्रेणी 01 (क) संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों के अधिकार में हंसा दत्त आदि खातेदारों के नाम पर दर्ज है। हाल वन्दोवस्ती नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 424 की सीमा वन विभाग की सीमा से मिलान करती है जिसमे वन विभाग के पिलर संख्या 08 व 09 खसरा नम्बर 424 के बाहर स्थित है।

2– वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन विभाग के नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 424 मनोरा रेंज अन्तर्गत कुरिया कम्पार्ट संख्या 05 के अन्तर्गत आ रहा है। इसके अतिरिक्त उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 197/13–1 दिनांक 15.01.2024 से अवगत कराया है कि पूर्व में भी इस भूमि के संवंध में विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के द्वारा अपने पत्र संख्या 2554/27–19 दिनांक 28.01.2021 से सर्वेक्षण का कार्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग से कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–क)

3– वन विभाग के द्वारा खसरा संख्या 424 में सीमा विवाद के संवंध में सर्वे हेतु दिनांक 24.01.2024 की तिथि नियत की गयी थी। जिसमें सर्वेयर के द्वारा भी अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग की खतौनी में दर्ज खसरा संख्या 424 वास्तविक रूप से आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत है जो कि वन विभाग के कुरिया

ब्लॉक कक्ष संख्या 05 के नाम से गजट नोटिफिकेशन वर्ष 1933 में दर्ज है। सर्वेक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक – क(1))

4– राजस्व विभाग के अनुसार खसरा नम्बर 424 की पैमाईश करने पर हाल बन्दोबस्ती नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 424 की सीमा सही होनी पायी गयी जिसका खातेदार राजेन्द्र नाथ साह द्वारा 0.262 हेक्टेयर भूमि विक्रय पत्र के द्वारा मनोज सिंह नेगी पुत्र एम0एस0 नेगी को विक्रय की गयी है जिसका दा0खा0 खतौनी में अमलदरामद है। खसरा नम्बर 424 मौके पर बंजर है जिस पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही है। *खतौनी नकल संलग्न है।* (संलग्नक - ख)

5– हाल बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 424 की सीमा वन विभाग की सीमा से मिलती है जिसके सम्बन्ध में हाल बन्दोबस्ती राजस्व नक्शें के अनुसार मौके पर सीमांकन करने से खसरा नम्बर 424 के खातेदारों द्वारा वन विभाग की सीमा पर कोई अतिक्रमण होना नही पाया गया। *हाल बन्दोबस्त नक्शे की प्रति संलग्न है।* (संलग्नक - ग)

6– वन विभाग के द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान अवगत कराया है कि उक्त खसरा नम्बर 424 की भूमि वन विभाग के सीमा के अन्तर्गत आ रही है तथा यह क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र में आता है। अतः वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने हेतु साबिक व हाल बन्दोबस्त के रिकार्ड को जिला कार्यालय के माल अभिलेखागार से तलब किया गया तथा तहसीलदार नैनीताल को इस संबंध में आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु अवगत कराया गया है।

7– तहसीलदार नैनीताल द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 318/र.का./2024 दिनांक 01 फरवरी 2024 के द्वारा आख्या प्रेषित की गयी, जिसके मुख्य विन्दु निम्नवत् है–

- साबिक बन्दोबस्त के मौजा बेलुवाखान (हाल ग्राम गेठिया) चक केमुआतल्ला पट्टी छः खाता परगना छः खाता जिला नैनीताल के हाल खसरा नम्बर 424 को साफ खसरा से मिलान करने पर साविक खसरा नम्बर 816 जिसका रकबा 54 नाली 11 मुट्ठी पाया गया। परन्तु यह साविक खसरा नम्बर साविक नवशे में 172/916 के तौर पर अंकित होना पाया गया। यह साविक नक्शा वर्ष 1899–97 के वन्दोवस्त के दौरान तैयार किया गया था।
- उपरोक्त नक्शे में वन विभाग की पिलर संख्या 02 एवं 01 राजस्व नक्शे के अन्दर है तथा पिलर संख्या 03, 04, 05, 07, 08 राजस्व नक्शे की सीमा से लगे हुए है। साविक बन्दोबस्त के नक्शे की सत्यापित प्रति संलग्न है। (संलग्नक–घ)
- उपरोक्त साविक नवशे के आधार पर ही वर्तमान वन्दोवस्ती नवशे को तैयार किया गया है। जो कि वर्ष 1955–56 मे तैयार किया गया है। इस आधार पर वन विभाग के पिलर संख्या 02, 03 को वर्तमान हाल

[signatures]

G. [illegible]
रा.नि.
नैनीताल

बन्दोबस्ती नक्शे से हटा दिया गया है। यहाँ यह भी दृष्टिगोचर हो रहा है कि वर्ष 1899–97 के वन्दोवस्त में से ही उक्त दोनों पिलर नक्शे में राजस्व विभाग के खसरा संख्या 172/916 के अन्दर आच्छादित थे।

- तहसीलदार नैनीताल के द्वारा अपनी आख्या में निष्कर्ष के तौर पर स्पष्ट किया है कि वर्ष 1899–97 के वन्दोवस्त के दौरान से ही हाल खसरा संख्या 424 (साविक खसरा नम्बर 172/916)का रकवा 1.097 है. ही है तथा वन विभाग का आंशिक क्षेत्र पूर्व से ही राजस्व नक्शे में आच्छादित चला आ रहा था जिसे हाल वन्दोवस्त 1955–56 के दौरान नक्शे से हटा दिया गया है। हाल वन्दोवस्त नक्शे में कोई भी पिलर राजस्व विभाग के नक्शे की सीमा के अन्तर्गत प्रदर्शित नहीं है। (संलग्नक - च)

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि राजस्व विभाग एवं वन विभाग के मध्य राजस्व विभाग के ग्राम गेठिया के खाता खतौनी संख्या 144 के खसरा संख्या 424 एवं वन विभाग के कुरिया ब्लॉक के कम्पार्ट संख्या 05 में नक्शे को लेकर विवाद की स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है।

उक्त के संवंध में उत्तराखण्ड शासन के राजस्व अनुभाग–2 के पत्र दिनांक 09.10.2023 के द्वारा वन एवं राजस्व विभाग के मध्य भूमि के रिकार्ड एवं नियमों आदि में मत भिन्नता के संवंध में दिनांक 11.09.2023 को आहूत बैठक में इस प्रकार के प्रकरणों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये है। इस समिति में संवंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन वन्दोवस्त अधिकारी सदस्य के तौर पर सम्मिलित है। अतः विषयगत प्रकरण को संवंधित स्थायी समिति को संदर्भित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

राजस्व उप निरीक्षक,
भवाली।

राजस्व निरीक्षक,
~~गगड़~~ भीमताल

वन क्षेत्राधिकारी,
वन क्षेत्र मनोरा

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
नैनीताल।

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल।

उपजिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल G20

पत्रांक 197/ 13–1 दिनांक 15–01–2024 **ANNEXURE - क**

संलग्न क 4 पृष्ठ

सेवा में,

श्रीमान् उप जिलाधिकारी,
नैनीताल।

विषय:- केमू खेत गेठिया में कुरिया क0सं0 5 में विवादित भूमि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के कम में आज दिनांक 12–01–2024 को वन क्षेत्राधिकारी, मनोरा वन क्षेत्र एवं स्थानीय स्टॉफ राजेन्द्र सिंह करायत, व0द0 एवं श्रीमती नीलम कोहली सर्वेयर नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के साथ प्रश्नगत भूमि का सर्वे किया गया। वन क्षेत्राधिकारी मनोरा द्वारा अपनी पत्र संख्या 349 / 13–1, दिनांक 12–01–2024 से अवगत कराया गया कि सर्वे में नक्शों का मौके पर मिलान किया गया। राजस्व के नक्से में उक्त भूमि राजस्व की दिखाई गई है, जबकि वन विभाग के नक्से में उक्त भूमि आरक्षित वन की भूमि है, सर्वे के दौरान अधोहस्ताक्षरी भी मौके पर उपस्थित रहे। उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में भी सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है। इससे पूर्व भी दिनांक 24–08–2020 को मनोरा वन क्षेत्राधिकारी द्वारा सर्वे किया गया था जिसके कम में मनोरा वन क्षेत्राधिकारी द्वारा पत्रांक 63 / 13, दिनांक 31–08–2020 से प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग [illegible] किया। जिसके सम्बन्ध में वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड को कार्यालय [illegible] वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा पत्रांक 2554 / 27–19, दिनांक 28–01–2021 [illegible] गया कि "मनोरा रेंज अन्तर्गत कुरिया क0सं0 5 के समीप लगी हुई नाप भूमि में श्री मनोज नेगी के द्वारा आरक्षित वन भूमि में अपनी निजी भूमि बताते हुऐ संर्वेक्षण कार्य करने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया था। श्री मनोज नेगी द्वारा किये गये अनुरोध के कम में प्रभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों तथा राजस्व विभाग के साथ दिनांक 21–06–2020 को संयुक्त सर्वेक्षण कार्य किया गया, सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि वन विभाग से सम्बन्धित मानचित्र तथा राजस्व विभाग से सम्बन्धित मानचित्रों में भिन्नता है जिस कारण क्षेत्र की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई तथा [illegible] किया गया कि उक्त क्षेत्र में सर्वेक्षण का कार्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किये जाने के [illegible] में अपने स्तर से भारतीय सर्वेक्षण विभाग को लिखने का कष्ट करें। भारतीय सर्वेक्षण को जो भी अपेक्षित सहयोग / अभिलेखों की आवश्यकता होगी प्रभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा।"

अत: प्रश्नगत भूमि वन विभाग के नक्सों में वन विभाग की एवं राजस्व विभाग के नक्सों में राजस्व विभाग की दिखाई गई है। इससे पूर्व भी उक्त प्रश्नगत भूमि की स्थिति स्पष्ट करने हेतु सर्वेक्षण विभाग को सर्वे हेतु अनुरोध किया गया है। अत: सूचना सेवा में प्रेषित।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

उप प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

G20

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, मनोरा वन क्षेत्र, बल्दियाखान

पत्रांक 349 / 13—1 दिनांक 12—01—2024

सेवा में,

श्रीमान् उप प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

विषयः— केमू खेत गेठिया में कुरिया क0सं0 5 में विवउदित भूमि के सम्वन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के कम में आज दिनांक 12—01—2024 को मेरे एवं स्थानीय स्टॉफ राजेन्द्र सिंह करायत, व0द0 एवं श्रीमती नीलम कोहली सर्वेयर नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के साथ उक्त प्रकरण का संयुक्त निरीक्षण किया गया। तथा निरीक्षण में नक्सों का मौके पर मिलान किया गया। राजस्व के नक्से में उक्त भूमि राजस्व की दिखाई गई है, जवकि वन विभाग के नक्से में उक्त भूमि आरक्षित वन की भूमि प्रतीत होती है, जिससे भूमि के सम्वन्ध में स्थिति विवादित प्रतीत हो रही है। उक्त विवादित भूमि का पूर्व में भी विभाग द्वारा सर्वे किया गया है। अतः महोदय से निवेदन है कि अपने स्तर से भारतीय सर्वेक्षण विभाग को लिखने का कष्ट करें।

अतः सूचना रिर्पोट सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(हस्ताक्षर)
वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः-- 2554 / 24-19 दिनांक 28 / 1 / 2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड ।

विषयः :- [illegible] खेत गेठिया के कूरिया क0सं0 5 में विवादित भूमि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि मनोरा रेंज के अंतर्गत कूरिया क0सं0 5 के समीप लगी हुई नाप भूमि में श्री मनोज नेगी के द्वारा आरक्षित वन भूमि में अपनी निजी भूमि बताते हुए सर्वेक्षण कार्य करने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया था। श्री मनोज नेगी द्वारा किये गये अनुरोध के कम में प्रभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों तथा राजस्व विभाग के साथ दिनांक 21.06.2020 को संयुक्त सर्वेक्षण कार्य किया गया सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि वन विभाग से सम्बन्धित मानचित्र तथा राजस्व विभाग से सम्बन्धित मानचित्रों में भिन्नता है जिस कारण क्षेत्र की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नही हो पाई।

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 ख–459/24–3 दिं0 31–08–2012 से जारी परिपत्र में निर्देश दिये गये है कि ऐसे प्रकरण पर प्रमुख सचिव राजस्व तथा प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के संज्ञान में लाये जाने एवं उनका निस्तारण संयुक्त रूप से किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः अनुरोध है कि उक्त क्षेत्र में सर्वेक्षण का कार्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भारतीय सर्वेक्षण विभाग को लिखने का कष्ट करें। भारतीय सर्वेक्षण को जो भी अपेक्षित सहयोग/अभिलेखों की आवश्यकता होगी प्रभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल

O/C

पत्रांक : 2554/उक्तदिनांकित।

1 प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।
2 प्रतिलिपि वन क्षेत्राधिकारी, मनोरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी मनोरा वन क्षेत्र (बल्दियाखान)

पत्रांक 63/13 दिनांक 31/08/2020.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

विषयः— कीमू खेत गेठिया में कुरिया क0सं0 5 के विभिन्न सीमा स्थलों की जी0पी0एस0 लोकेशन (कोडिनेटस सूचना) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में दिनांक 24–08–2020 को कीमू खेत गेठिया में कुरिया क0सं0 5 का जी0पी0एस0 कोडिनेट श्री आनन्द लाल, उप वन क्षेत्राधिकारी एवं श्रीमती नीलम कोहली सर्वेयर नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल एवं अन्य स्टॉफ द्वारा किया गया। जी0पी0एस0 कोडिनेटस सूचना महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

संलग्नक — क(1) — 4 पृष्ठ

ANNEXURE - क(1)

[illegible] दिनांक [illegible]/01/2024 को प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के पत्रांक [illegible]/[illegible] दिनांक 23.01.2024 के अनुपालन में एस.डी.जी.ओ. [illegible] योजित वाद भूमि आवेदन संख्या 707/2023 लालजी कुमार बनाम [illegible] कलेक्टर कमिश्नर नैनीताल एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2023 के [illegible] के सम्बन्ध में [illegible] [illegible] रेंज के कुरिया ब्लॉक कक्ष सं० 5 के मध्य में [illegible] [illegible] वन भूमि की सीमा के सम्बन्ध में वन विभाग की [illegible] [illegible] संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। मौके पर सर्वेक्षण दल [illegible] टीम द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। [illegible] [illegible] [illegible] के अनुसार सीमापिलरों की [illegible] [illegible] गयी। [illegible] [illegible] [illegible] पर केवल सीमापिलर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] को [illegible] मौके पर [illegible]

[illegible] [illegible] अभिलेख व वन विभाग के नक्शों [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के कुरिया ब्लॉक कक्ष सं० 5 के मध्य में [illegible] [illegible] सीमापिलरों द्वारा दर्शायी गयी है, जिसके अनुसार [illegible] [illegible] के नक्शे में वन भूमि को बिना सीमापिलरों के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दर्शायी गयी है। वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन [illegible] के अनुसार सीमास्तम्भ 07 व 08 को [illegible] जोड़ते हुए [illegible] [illegible] के अनुसार सीमा दर्शायी गयी।

[illegible] सर्वेक्षण टीम के सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि [illegible] [illegible] [illegible] के राजस्व नक्शे में वन विभाग की भूमि [illegible] [illegible] [illegible] वन भूमि भी सम्मिलित है। [illegible]

[illegible] [illegible] की खतौनी में दर्ज खसरा संख्या [illegible] [illegible] [illegible] वन भूमि की सीमा के अन्तर्गत है, जो कि वन विभाग [illegible] [illegible] [illegible] सं० 5 के नाम से गजट नोटिफिकेशन सन्-1933 [illegible] दर्ज है।

अजय कुमार
सर्वेयर
[illegible] वन प्रभाग

नीलम कोहली
सर्वेयर
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल

मनीषा
[illegible]
तहसील [illegible]

[E]

3, 1939 ... W ... c. f.
5.28 acres of forest land at Mauza Kuriya Pargana Patti ... N. Tal transferred free of charge from the control of the ... Forest Department to the P. W. D. for the construction ... of the ... road from Kailakhan to Kuriya.

FOREST DEPARTMENT.

CORRIGENDUM.

The 7th March, 1922.

No. 250/XIV—29.—*Substitute* the following amended and more accurate description of boundaries of the Naini Tal reserve contained in schedule B to this department notification no. 643/XIV—213, dated the ... 1901, published on pages 736—781, part I, of the North-Western Provinces and Oudh Government dated the 14th September, 1901, and subsequent notification nos. 605/XIV—213-16 and 658/XIV—193, 2nd October, 1912, and 6th October, 1913 respectively.

SCHEDULE B.

List of village lands excluded from the Naini Tal reserve (Nalena, Kuria, Lariakanta, Bhowali-Budhlakot, China and Jakh blocks) of the Naini Tal Forest division.

District.	Pargana.	Patti.	Mauza.	Block.	Name of chak.	Boundary description.		
						Pillar no.	Position of pillar.	Nature of line to next pillar.
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naini Tal	Chhakata	Pahar Chhakata.	Belakhan	Nalena ..	(1) Belunkhan.	1	At the lower edge of old cart road.	Straight line E. by S.
						2	On a spur ..	Straight line E.S.E.
						3	Ditto ..	Crest of spur down hill.
						4	On a spur above cart road.	Along upper edge of cart road.
						5	Ditto ..	Crest of spur up hill.
						6	On a spur below old cart road.	Along lower edge of old cart road.
						7	At the junction of old cart road and path to Bargaon.	Along the lower edge of path to Bargaon.
						8	Below the path on left bank of Nalena gadh.	Straight line N. by W.
						9	On east side of the ridge.	Straight line N.N.E.
						10	On east side near wire fence.	Straight line N.E.
						11	At 5 feet below the edge of cultivation.	Straight line N.N.E.
						12	On a ridge ..	Crest of ridge down hill.
						13	At the foot of the ridge above old cart road.	Straight line S. by W.
						14	At 10 feet above the edge of cultivation.	Ditto.
						15	On a spur ..	Straight line S.
						16	On steep slope above cultivation.	Ditto.
						17	On left bank of Nalena gadh.	Up Nalena gadh left bank.
						18	On left high bank of Nalena gadh.	Straight line N.
						19	On a spur below a rock	Straight line N.N.W.
						20	At the edge of a fallow field.	Straight line N.W.
						21	On a spur ..	Straight line N.
						22	On a ridge ..	Crest of ridge up hill.
						23	On a ridge below cart road.	Along lower edge of cart road.
						24	Below cart road ..	Straight line N.W.
						25	On a spur ..	Crest of spur up hill.
						26	On a ridge ..	Crest of ridge up hill.
						27	Ditto	Ditto.
						28	On a rock ..	Straight line N.E.
						29	On a ridge ..	Straight line N.
						30	Above a village path	Straight line E.N.E.
						31	At the source of a ravine.	Down ravine, right bank.
						32	On right bank of ravine below old cart road.	Along lower edge of old cart road.
						1	The starting point.	

Vide notification 7/1/... No: 154/XIV - dated 30th May 1953.

FOREST DEPARTMENT

MISCELLANEOUS

30th May 1933

.V.—In exercise of the powers conferred by section 4(*i*)(*a*) and (*b*) of the .ct (Act XVI of 1927) the Governor in Council is pleased to declare that it is .nstitute the land specified below of which the boundaries are given in the sub- .ulo, reserved forest.

.nder section 4(*i*) (*c*) of the said Act the Deputy Commissioner of Naini Tal, is hereby .d Forest Settlement Officer, and under section 17 of the said Act, the Commissioner of .aun Division is empowered to hear any appeals that may be preferred from the orders .orest Settlement Officer.

Specification of the land acquired for reservation

	Pargana	Patti	Mauza	Name of chak	Name of block	Approximate area in acres	Brief description
1..	Chhakata	Pahar Chhakata.	Gethia ..	(2) Kimukhet (i).	Kuria ..	4·8	Chak no. (2) Kimukhet (i), also known as Alakhet, in Kuria Ct. 5 and demarcated by chak pillars nos. 1 to 6, *vide* page 15 of notification no. 260/XIV—29, dated the 7th March, 1922. This land was acquired under notification no. 736/XIV—269, dated the 8th November, 1930.

Reason for afforestation—The above area has been acquired for afforestation at a cost of .2-5-3, under recommendations made in the report on the hill-sides of Naini Tal by Mr. A. .son, Assistant Superintendent, Geological Survey of India.

(i) The reservation of the above area will be followed by the demolition of the chak pillars, the elimination of "chak no. (2) Kimukhet (i)" and the omission of "(ii)" against "chak no. (3) Kimukhet (ii)" which now becomes "(2) Kimukhet". The remaining chaks nos. (4) to (11) will be re-numbered as (3) to (10) respectively in the list of village lands demarcated within the Kuria Block of the Naini Tal reserve and printed on pages 15 to 20 of G. O. no. 260/XIV—29, dated the 7th March, 1922.

(ii) After adding the area afforested above, the area of the Naini Tal reserve will be increased from 19,278·13 acres to 19,282·43 acres.

By order,
H. A. LANE,
Secy. to Govt., United Provinces.

No 3169; dt. 19-6-33
XXVIII-5

Copy forwarded to R.O. Manora for information.

[signature] 18/6

[signature]

ANNEXURE - ख

संलग्न ख 5 पृ०८

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

ग्राम क्रमांक : 054824 ग्राम का नाम / परगना : [illegible] तहसील : नैनीताल जनपद : नैनीताल फसली वर्ष : 1427-1432 भाग : 1

1-क-भूमि जो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधारी के अधिकार में हो

खाता खतौनी क्रम संख्या — 1 —	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	मौलिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष — 3 —	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —
00144	[illegible]/[illegible] 55आ हि./नि. ग्रा.	1374क	424	1.0970	10.00	वाद सं. 30/884(2018-19) आदेश तहसीलदार नैनीताल दि. 12/09/19 के अनुसार खाता सं. 0.262है भूमि पसानी 2.20है. मे विक्रेता राजेन्द्र [illegible] नाम [illegible] पुत्र [illegible] निवासी ग्राम [illegible] पट्टी मल्लाली तहसील व जिला नैनीताल के नाम [illegible] मनोज सिंह नेगी पुत्र [illegible] [illegible] निवासी ग्राम [illegible] पट्टी [illegible] तहसील कोश्याकुटौली जिला नैनीताल के नाम [illegible] बैनामा दि. 03/07/19 के आधार पर बतौर संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर श्रेणी 1-(क) में कृषि प्रयोजन हेतु दर्ज किया ह.र.का. दि. 13/09/19 प.स. 11 स के क्रमांक 416 पर [illegible] भीमताल के आदेश दि. 29/10/2023 के अनुसार मृतक खातेदार केशव दत्त पुत्र टीका राम के बजाय वारिस भुवन चन्द्र, गणेश चन्द्र पुत्र केशव दत्त का नाम विरासतन दर्ज किया। ह.र.का. दि. 30/10/2023
	ओ.पी. आर्या/[illegible]/नि. ग्राम	1374क	476	0.0030		
	आर.पी. आर्या/[illegible] 5आ हि./नि. ग्राम	1374क	495ग	0.0030		
	शहीदा बेगम पत्नी/[illegible] खाँ 4हि./नि. ग्रा.	1374क	1297	0.0190		
	[illegible] सिंह/इन्द्र सिंह/नि. ग्राम	1374क	1371	0.0250		
	आनन्द सिंह/इन्द्र सिंह/नि. ग्राम	1374क	1384	0.0160		
	जीवन सिंह/मोहन सिंह/नि. ग्राम	1374क	1388	0.0350		
	मनोज सिंह/मोहन सिंह/नि. ग्राम	1374क	1425	0.0200		
	नीरज सिंह/मोहन सिंह/नि. ग्राम	1374क	1430	0.0260		
	[illegible]/[illegible] सिंह/नि. ग्राम					
	[illegible] सिंह पत्नी/[illegible] सिंह 1176हि./नि. ग्राम					
	[illegible] सिंह/[illegible] सिंह 562हि./नि. ग्राम					
	[illegible]/[illegible]/नि. ग्राम					
	[illegible]/[illegible]/नि. ग्राम					
	[illegible]/[illegible]/नि. ग्राम					
	[illegible] 254हि./नि. ग्राम					
	[illegible] 3199 हि./नि. ग्राम					
	[illegible] 691हि./नि. ग्रा.					
	[illegible] 22हि./नि. ग्रा.					
	[illegible] 24हि./नि. ग्रा.					
	[illegible] 12हि./नि. ग्रा.					
	[illegible] 50हि./नि. ग्रा.					
	[illegible]/नि. ग्राम					
	[illegible] 3 हि./नि. ग्राम					
	[illegible] 3हि./नि. ग्रा.					
	[illegible]/नि. ग्रा.					
	[illegible]/नि. ग्रा.					
	[illegible] 33हि./नि. ग्रा.					
	[illegible] 42हि./नि. ग्रा.					
	[illegible] 18हि./नि. ग्रा.					
	[illegible] 3हि./नि. ग्रा.					
	[illegible] 83हि./नि. ग्रा.					
	[illegible] 105हि./नि. ग्रा.					
	[illegible] 55हि./नि. ग्रा.					
	[illegible]/नि. ग्रा.					
	[illegible]/नि. ग्रा.					

[illegible] 21.03.2019 तक सहमति

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

खतौनी संख्या —1—	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान —2—	मौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष —3—	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या —4—	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) —5—	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान —6—	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद —7-12—	टिप्पणी
	गोबिन्दबल्लभ/उमापति 48हिं./नि.ग्रा.						
	जगन्नाथसिंह/डूगरसिंह 964हिं./नि.ग्रा.						
	सुरेन्द्र सिंह/देव सिंह 499 हि./नि॰ ग्राम						
	चन्द्रसिंह/जीतसिंह 12हिं./नि.ग्रा.						
	जसोदसिंह/कुशलसिंह 60हिं./नि.ग्रा.						
	जान अहमद/भीखो खाँ 293हिं./नि.ग्रा.						
	जोगाराम/बचीराम 35हिं./नि.ग्रा.						
	डूगरसिंह/सबलसिंह/नि.ग्रा.						
	डूरियन भीम साहिब/306हिं./नि.ग्रा.						
	डूरियन भीम साहिब 306हिं.//नि.ग्रा.						
	तेजसिंह/उत्तमसिंह 588हिं./नि.ग्रा.						
	दलीपसिंह/पूर्णासिंह 180हिं./नि.ग्रा.						
	दुर्गादेवी वि./रामेश्वर 28हिं./नि.ग्रा.						
	दुर्गासिंह/माधोसिंह 28हिं./नि.ग्रा.						
	गणेश सिंह/मोहन सिंह/नि. ग्राम						
	गिरीश सिंह/मोहन सिंह/नि. ग्राम						
	चन्दन सिंह/मोहन सिंह/नि. ग्राम						
	कमलेश सिंह/मोहन सिंह 60हि./नि. ग्राम						
	देवसिंह/फकीरसिंह 104हिं./नि.ग्रा.						
	हीरासिंह/टिकुवा 25हिं./नि.ग्रा.						
	चतुरसिंह/टिकुवा 25हिं./नि.ग्रा.						
	भूपालसिंह/टिकुवा 25हिं./नि.ग्रा.						
	चन्दनसिंह/टिकुवा 25हि./नि.ग्रा.						
	बचीसिंह/जीतसिंह 101हिं./नि.ग्रा.						
	देवसिंह/दुर्गासिंह 49हिं./नि.ग्रा.						
	मोहनसिंह/दुर्गासिंह 49हि./नि.ग्रा.						
	टीकमसिंह/दुर्गासिंह 49हिं./नि.ग्रा.						
	प्रेमसिंह/दुर्गासिंह 49हि./नि.ग्रा.						
	नैनसिंह/दुर्गासिंह 49हिं./नि.ग्रा.						
	शेरसिंह/दुर्गासिंह 49हि./नि.ग्रा.						
	दौलत/लालदीन 11हिं./नि.ग्रा.						
	दौलिया/कालिया व.हि./नि.ग्रा.						
	धनिया/किलमिया 15हिं./नि.ग्रा.						
	राजेन्द्र सिंह/नाथू सिंह/नि॰ ग्राम						
	गोविन्दी देवी पत्नी/नाथू सिंह 56 हि./नि॰ ग्राम						
	दुर्गासिंह/किशनसिंह 56हिं./नि.ग्रा.						

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

खतौनी संख्या —1—	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान —2—	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष —3—	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या —4—	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) —5—	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान —6—	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद —7-12—	टिप्पणी —13—
	चन्दनसिंह/किशनसिंह 55हिं./नि.ग्रा.						
	नैनसिंह/गंगासिंह 347हिं./नि.ग्रा.						
	नैनसिंह/खेमसिंह 1143हिं./नि.ग्रा.						
	उत्तमसिंह/खेमसिंह 1042हिं./नि.ग्रा.						
	नरसिंह/खेमसिंह 1042हिं./नि.ग्रा.						
	मु. परूली पत्नी/केशीराम 29हिं./नि.ग्रा.						
	प्यारेलाल/किशनराम 4हिं./नि.ग्रा.						
	प्यारेलाल/देवीलाल 40हिं./नि.ग्रा.						
	बिहारीलाल/देवीलाल 40हिं./नि.ग्रा.						
	शिवलाल/दणवीसाह 41हिं./नैनीताल						
	फयाज/सदलल मिस्त्री/नैनीताल						
	गोपाल सिंह/बची सिंह/नि.ग्राम						
	मोहन सिंह/बची सिंह/नि.ग्राम						
	पार्वती देवी पत्नी/बची सिंह 126 हि./नि.ग्राम						
	रामसिंह/खुशालसिंह 125हिं./नैनीताल						
	शिवराजसिंह/खुशालसिंह 125हिं./नैनीताल						
	किशनसिंह/खुशालसिंह 126हिं./नि.ग्रा.						
	दानसिंह/हरकसिंह 491हिं./नि.ग्रा.						
	बिशनसिंह/गुमानसिंह 35हिं./नि.ग्रा.						
	किशनसिंह/गुमानसिंह 35हिं./नि.ग्रा.						
	गंगुली पत्नी/चौनराम 6हिं./नि.ग्रा.						
	भुवनचन्द्र/देवी प्रसाद 22हिं./नि.ग्रा.						
	भुवनचन्द्र/देवीप्रसाद 7हिं./नि.ग्रा.						
	नशीनम पत्नी/महमूद अली खाँ/नि.ग्रा.						
	मालतीदेवी/बाकेलाल 16हिं./नि.ग्रा.						
	मोनिया/मोहनराम 13हिं./नि.ग्रा.						
	मोहनराम/हरीराम 9हिं./नि.ग्रा.						
	पूरनराम/हरीराम 9हिं./नि.ग्रा.						
	मेदेव/हरीराम 8हिं./नि.ग्रा.						
	मोहनचन्द्र/नन्दा 5हिं./नि.ग्रा.						
	रतनराम/चामरराम 5हिं./नि.ग्रा.						
	राजकिशोर भण्डारी द्वारा गडिया मेनिटा//नि.ग्रा. 128हिं.//नि.ग्रा.						
	राजेन्दलाल/जिनुवा 249हिं./नि.ग्रा.						
	रामसिंह/दीवानसिंह 19हिं./नि.ग्रा.						
	राधा पत्नी/पदमसिंह 68हिं./नि.ग्रा.						

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

खतौनी संख्या —1—	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान —— 2 ——	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष —— 3 ——	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या —— 4 ——	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) —— 5 ——	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान —— 6 ——	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद —— 7-12 ——	टिप्पणी —— 13 ——
	तथा विधवा/परमानन्द सिंह 80हिं./नि.ग्रा.						
	मोतीदेवी विधवा/बालकिशन 40हिं./नि.ग्रा.						
	प्रेमचन्द्र/वि.मोतीदेवी 40हिं./नि.ग्रा.						
	लक्ष्मणसिंह/नरसिंह 42हिं./नि.ग्रा.						
	मु. वीणा पत्नी/अनुवा 22हिं./नि.ग्रा.						
	श्यामलाल/गोपीराम 15हिं./नि.ग्रा.						
	राजेलाल/गोपीराम 16हिं./नि.ग्रा.						
	धनीराम/रतनुवा 31हिं./नि.ग्रा.						
	उदेराम/दौलिया 62हिं./नि.ग्रा.						
	शारदा/बचीराम 8हिं./नि.ग्रा.						
	प्रेमराम/बचीराम 7हिं./नि.ग्रा.						
	शिवदत्त/प्रयागदत्त 84हिं./नि.ग्रा.						
	शेरसिंह/जोगासिंह 43हिं./नि.ग्रा.						
	सदीसिंह/मोतीसिंह 79हिं./नि.ग्रा.						
	मु. सगारानी पत्नी/महेशानन्द 106हिं./नि.ग्रा.						
	सोबनसिंह/प्रेमसिंह 1आ.हिं./नि.ग्रा.						
	हरीकृष्ण/जैकृष्ण 18हिं./नि.ग्रा.						
	भुवनचन्द्र/जैकृष्ण 18हिं./नि.ग्रा.						
	सोहन स्वामी उर्फ प्रोफेसर रामाकान्त 94//नि.ग्रा.						
	हरीराम/पनीराम 40हिं./नि.ग्रा.						
	शंकरवल्लभ/हीरावल्लभ/नि.ग्रा.						
	भुवनेश्वर प्रसाद/हीरावल्लभ 133हिं./नि.ग्रा.						
	हीरासिंह/मोतीसिंह 241हिं./नि.ग्रा.						
	गंगासिंह/मोतीसिंह 240हिं./नि.ग्रा.						
	राजेन्द्रसिंह/पूरनसिंह 12हिं./नि.ग्रा.						
	रघुवरसिंह/पूरनसिंह 120हिं./नि.ग्रा.						
	हीरालाल/गुसाईंलाल 1आ.हिं./नि.ग्रा.						
	विहारीलाल/गुसाईंलाल 1हिं./नि.ग्रा.						
	कुटियाजातक पंच [illegible] 19हिं.//नि.ग्रा.						
	कुन्तीदेवी पत्नी/[illegible]सिंह 141हिं./नि.ग्रा.						
	बसन्तीदेवी पत्नी/[illegible]सिंह 113हिं./नि.ग्रा.						
	देवीसिंह/दुर्गसिंह 39हिं./नि.ग्रा.						
	गोविन्दी/स्वामी [illegible]सिंह 39हिं./नि.ग्रा.						
	लक्ष्मणसिंह/[illegible]सिंह 2हिं./नि.ग्रा.						
	रामसिंह/फकीर 2हिं./नि ग्रा.						
	विशनसिंह/[illegible] 2हिं./नि.ग्रा.						

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

खतौनी संख्या —1—	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान —2—	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष —3—	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या —4—	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) —5—	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान —6—	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद —7-12—	टिप्पणी —13—
	जोधसिंह/खीमान 1हिं./नि.ग्रा. जगन्नाथसिंह/मोहनसिंह 1हिं./नि.ग्रा. बचीसिंह/बद्रीसिंह 1हिं./नि.ग्रा. उमेदसिंह/बद्रीसिंह 1आ.हिं./नि.ग्रा. (कुल 15155हिं.)//नि.ग्रा.						
			9	1.2440			

कुल गाटे: नौ कुल क्षेत्रफल: एक दशमलव दो चार चार कुल भू-राजस्व: एक शून्य दशमलव छ: शून्य

Data Digitally Signed by : Bhupesh Chandra

सक्षम अधिकारी : TEHSILDAR

तहसील : नैनीताल जनपद : नैनीताल

दिनांक एवं समय : 01-02-2024 11:11:58 AM

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

ANNEXURE - ग

संलग्न (ग)

ग्राम बेनुताख्यान -चक गेटिया उर्फ गेठया शीट नं०- २
पट्टी छः खाता
परगना छः खाता
तहसील नैनीताल
जिला- नैनीताल
माप दण्ड ६५ कं० = १ मील
सन् १९५५-५६ ई० कृषि सम्वत
१२६२.

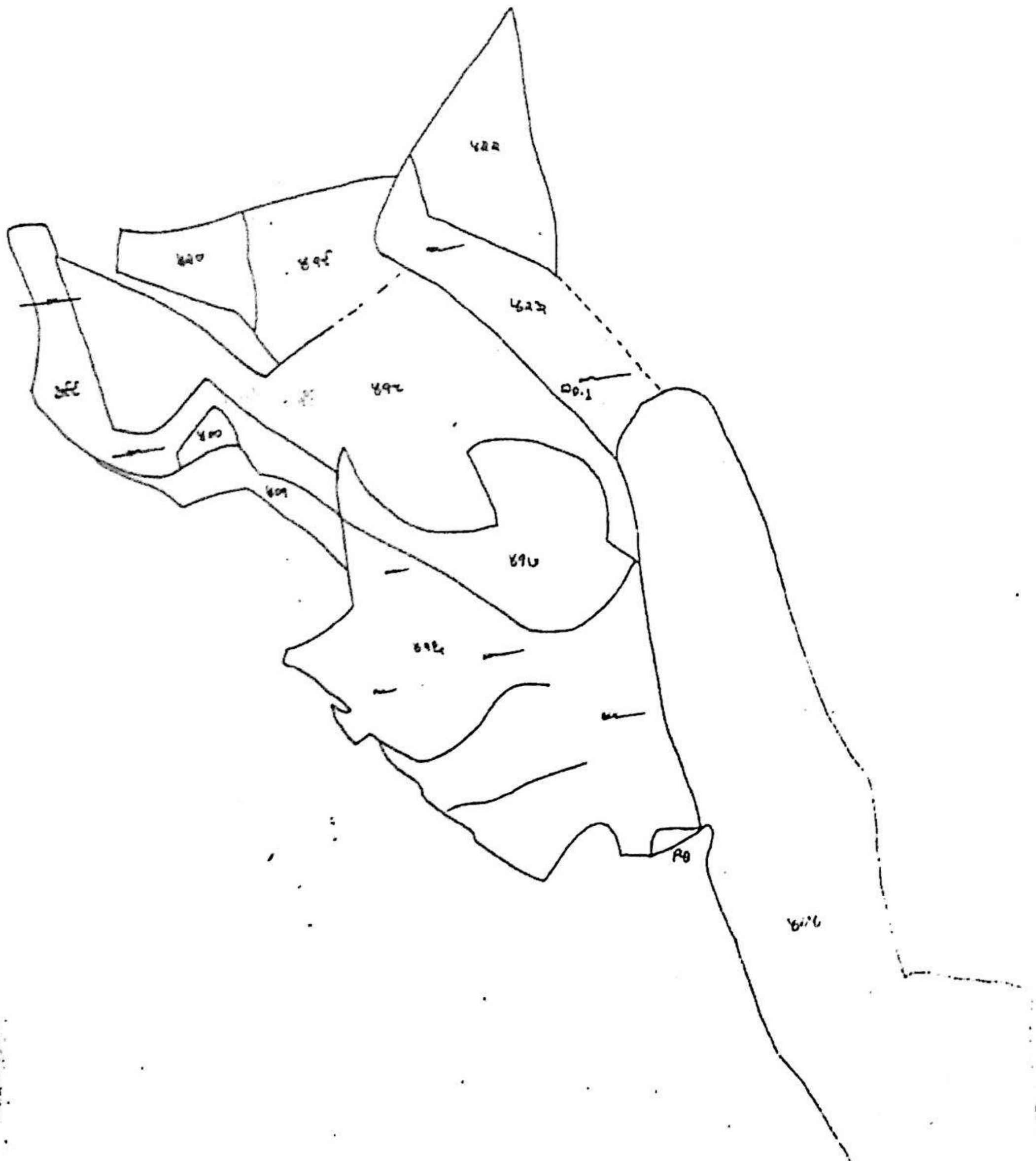

30/11/24

6/8.

संख्या...10

सत्य प्रतिलिपि

ANNEXURE - घ

आ बेलुवाखान
ग्राम ठेमुआतल्ला पट्टी छः खाता
परगना छः खाता
जिला - नैनीताल
पैमाना वखियान पैमायश
फी मील ६५ इंच
बावत सन् १८९९-९७

संलग्न (घ)

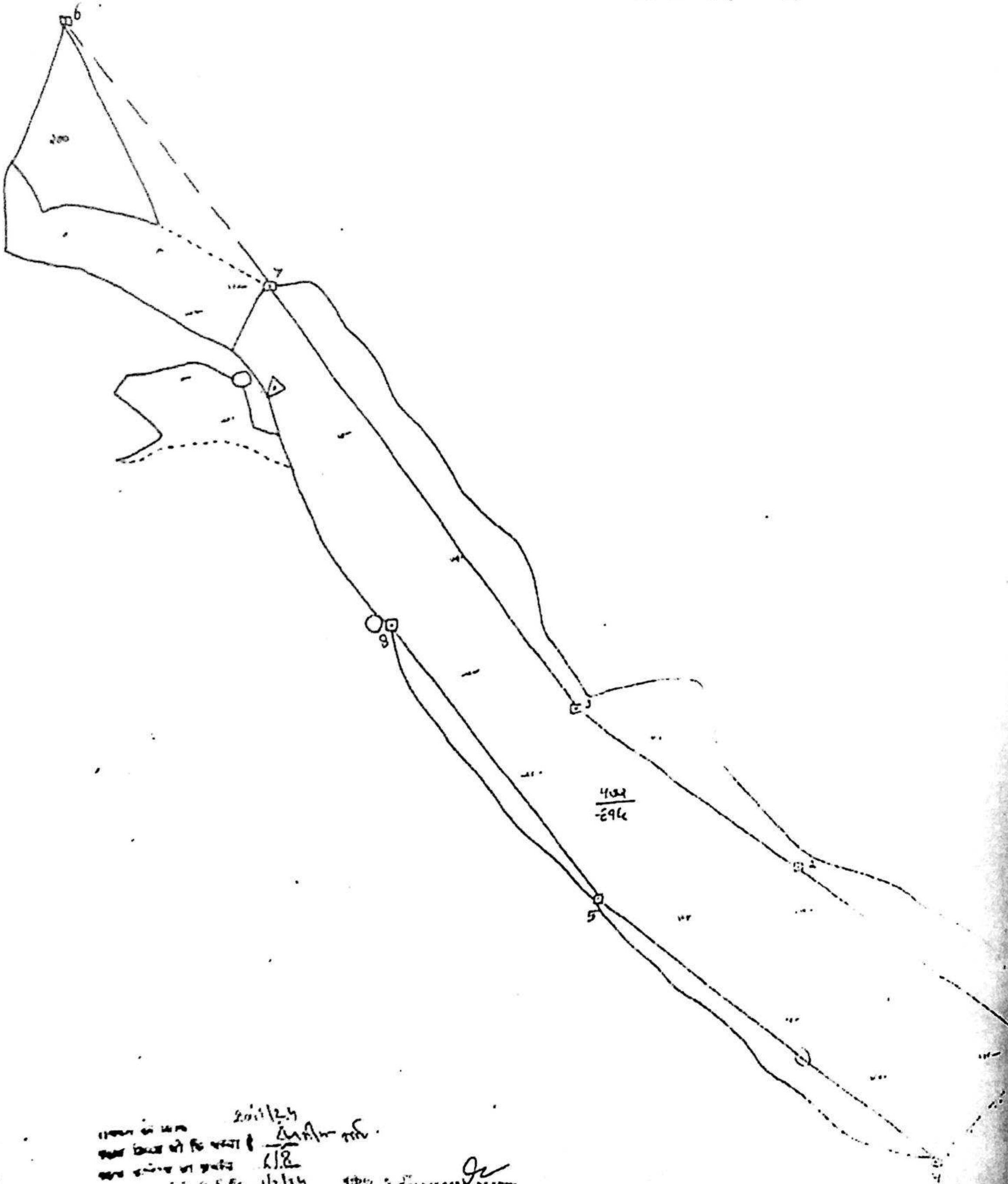

 संलग्न (च, 6 पृष्ठ

ANNEXURE - च

कार्यालय तहसीलदार नैनीताल।

पत्रांक 3/6 / र0का0 / 2024 दिनाँक 01 ~~जनवरी~~ फरवरी 2024

सेवामें,

उपजिलाधिकारी,
नैनीताल।

विषय— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0), प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन-पत्र संख्या 709/2023, लाल जी कुमार बनाम प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल में पारित आदेश दिनांक 28-11-2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या 02(3)/12-ज्यंड0ए0सी0 /2023-24 दिनांक 31 जनवरी, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें अधोहस्ताक्षरी द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक भवाली के साथ अभिलेखों की जांच की गयी। जांच आख्या निम्नवत हैः-

1— यह कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार ग्राम गेठिया पट्टी भवाली के खसरा नम्बर 397, 421, 423, 424 की खतौनी के अवलोकन से खसरा नम्बर 397 रकवा 0.0307, 421 रकवा 0.135, 423 रकवा 0.129 कुल 03 खसरा नम्बरों का रकवा 0.571 हेक्टेयर वर्तमान समय में नॉन ज्यड0ए0 खतौनी खाता संख्या 70 में सरकार उत्तराखण्ड श्रेणी 09(3)ड़ बंजर के रूप में दर्ज अभिलेख है जो मौके पर बंजर स्थिति में ही है जो कि वास्तविक स्वरूप में है। जिन पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण होना नही पाया गया। संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान वन विभाग के द्वारा भी खसरा नम्बरों 397, 421, 423 को अपने क्षेत्र से बाहर होना बताया गया है। खसरा नम्बर 424 रकवा 1.097 हेक्टेयर श्रेणी 01 (क) संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों के अधिकार में हंसा दत्त आदि खातेदारों के नाम पर दर्ज है। हाल बन्दोबस्ती नक्शे से खसरा नम्बर 424 की सीमा वन विभाग की सीमा से मिलान करती है जिसमे वन विभाग के पिलर संख्या 08 व 09 खसरा नम्बर 424 के बाहर स्थित है।

2— खसरा नम्बर 424 की पैमाईश करने पर हाल बन्दोबस्ती नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 424 की सीमा सही होनी पायी गयी जिसका खातेदार राजेन्द्र नाथ साह द्वारा 0.262 हेक्टेयर भूमि विक्रय पत्र के द्वारा मनोज सिंह नेगी पुत्र एम0एस0 नेगी को विक्रय की गयी है जिसका दा0खा0 खतौनी में अमलदरामद है। खसरा नम्बर 424 मौके पर बंजर है जिस पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही है। खतौनी नकल संलग्न है।

3— हाल बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 424 की सीमा वन विभाग की सीमा से मिलती है जिसके सम्बन्ध में राजस्व नक्शों के अनुसार मौके पर सीमांकन करने से खसरा नम्बर 424 के खातेदारों द्वारा वन विभाग की सीमा पर कोई अतिक्रमण होना नही पाया गया।

4— वन विभाग के द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान अवगत कराया कि उक्त खसरा नम्बर 424 की भूमि वन विभाग के सीमा के अन्तर्गत आर ही है तथा यह क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र में आता है। अतः वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने हेतु साविक व हाल बन्दोबस्त के रिकार्ड को जिला कार्यालय के माल अभिलेखागार से तलब किया गया।

(आर्मि 9/15)

01/02/2024

5– साबिक बन्दोबस्त के मौजा बेलुवाखान चक केमुआ तल्ला पट्टी छः खाता परगना छः खाता जिला नैनीताल के हाल खसरा नम्बर 424 को साफ खसरा से मिलान करने पर साबिक खसरा नम्बर 816 जिसका रकबा 54 नाली 11 मुट्ठी पाया गया। परन्तु यह साबिक खसरा नम्बर साबिक नक्शे में 172/916 के तौर पर अंकित होना पाया गया। यह साबिक नक्शा वर्ष 1899–97 के बन्दोबस्त के दौरान तैयार किया गया था।

6– उपरोक्त नक्शे में वन विभाग की पिलर संख्या 02 एवं 01 राजस्व नक्शे के अन्दर है तथा पिलर संख्या 03, 04, 05, 07, 08 राजस्व नक्शे की सीमा से लगे हुए है। साबिक बन्दोबस्त के नक्शे की सत्यापित प्रति मूल में संलग्न है।

7– उपरोक्त साबिक नक्शे के आधार पर ही वर्तमान बन्दोबस्ती नक्शे को तैयार किया गया है। जो कि वर्ष 1955–56 मे तैयार किया गया है। इस आधार पर वन विभाग के पिलर संख्या 02, 03 को वर्तमान हाल बन्दोबस्ती नक्शे से हटा दिया गया है। यहाँ यह भी दृष्टिगोचर हो रहा है कि वर्ष 1899–97 के बन्दोबस्त में से ही उक्त दोनों पिलर नक्शे में राजस्व विभाग के खसरा संख्या 172/916 के अन्दर आच्छादित थे।

उपरोक्त से स्पष्ट होर हा है कि वर्ष 1899–97 के बन्दोवस्त के दौरान से ही हाल खसरा संख्या 424 (साबिक खसरा नम्बर 172/916) का रकबा 1.097 है. ही है तथा वन विभाग का आंशिक क्षेत्र पूर्व से ही राजस्व नक्शे में आच्छादित चला आ रहा था जिसे हाल बन्दोबस्त 1955–56 के दौरान नक्शे से हटा दिया गया है। हाल बन्दोबस्त नक्शे में कोई भी पिलर राजस्व विभाग के नक्शे की सीमा के अन्तर्गत प्रदर्शित नहीं है।

अतः तदनुसार प्रकरण में जांच आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्नकः– नक्शा, खसरा, खतौनी।

भवदीय

(संजय कुमार)
तहसीलदार, नैनीताल।
01/02/2024

(आर0 शाह)
02/24

उद्धरण खतौनी (एन०जे०ए०यू०) NZA

ग्राम:- ठेहिया परगना:- ६. रवाता तहसील- नैनीताल जिला नैनीताल फसली:- 1407 फ०

खाता क्रमांक	किसान का नाम, उसके पिता का नाम और उसका निवास स्थान	खेती करने की अवधि	खसरे की संख्या	क्षेत्रफल	लगान नकदी	जिन्सी लगान का नकद मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
	श्रेणी:-१(२) ड़						
70	बंजर		17 ब 18 40 ब 51 / 397 421 423 / 84/1443 437/1444	0.013 0.029 0.017 0.014 / 0.307 0.135 0.129 / 0.371 0.130			महोदय, नकल मुताबिक असल से तैयार किया गया
		योग	200	33.631			

राजस्व उपनिरीक्षक / राजस्व पुलिस
राजस्व उप निरीक्षक
तहसील 02/24
जिला नैनीताल

नियम ७७

साफ खसरा

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
४२१		८।।।	केमुवा	२२१		नंजर	८।।।			
४२२	९०७ ९८८ ९८८ ९६० ९००	४	केमुवा	३१		नोडपरती	४	उपाऊं टापम	[illegible]	२०/।/२ [illegible]
४२३		८।३	केमुवा	२५		नंजर	८।=		[illegible]	[illegible]
४२४	२१८	२८।।=	केमुवा	[illegible]		नोडपरती	२८।।=	उपाऊं टापम	[illegible]	[illegible]
४२५	-	=	केमुवा	[illegible]		मकान मय चौक	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
४२६		।।-	तल्लो गौठ्या	१६०		मकान मय चौक	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
४२७		१६-	तल्लो गौठ्या	२२१		बंजर	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
४२८	२५	२।।=	तल्लो गौठ्या	·८%		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
४२९	२६	९।।।-	तल्लो गौठ्या	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
४३०		१०।।।६	तल्लो [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

मिलख्वान
तोमुआतल्ला पट्टी छ: खाता
परगना छ: खाता
जिला - नैनीताल
पैमाना हस्बिसाब पैमायश
फी मील ६५ इंच
जबत सन् १८९६-९७

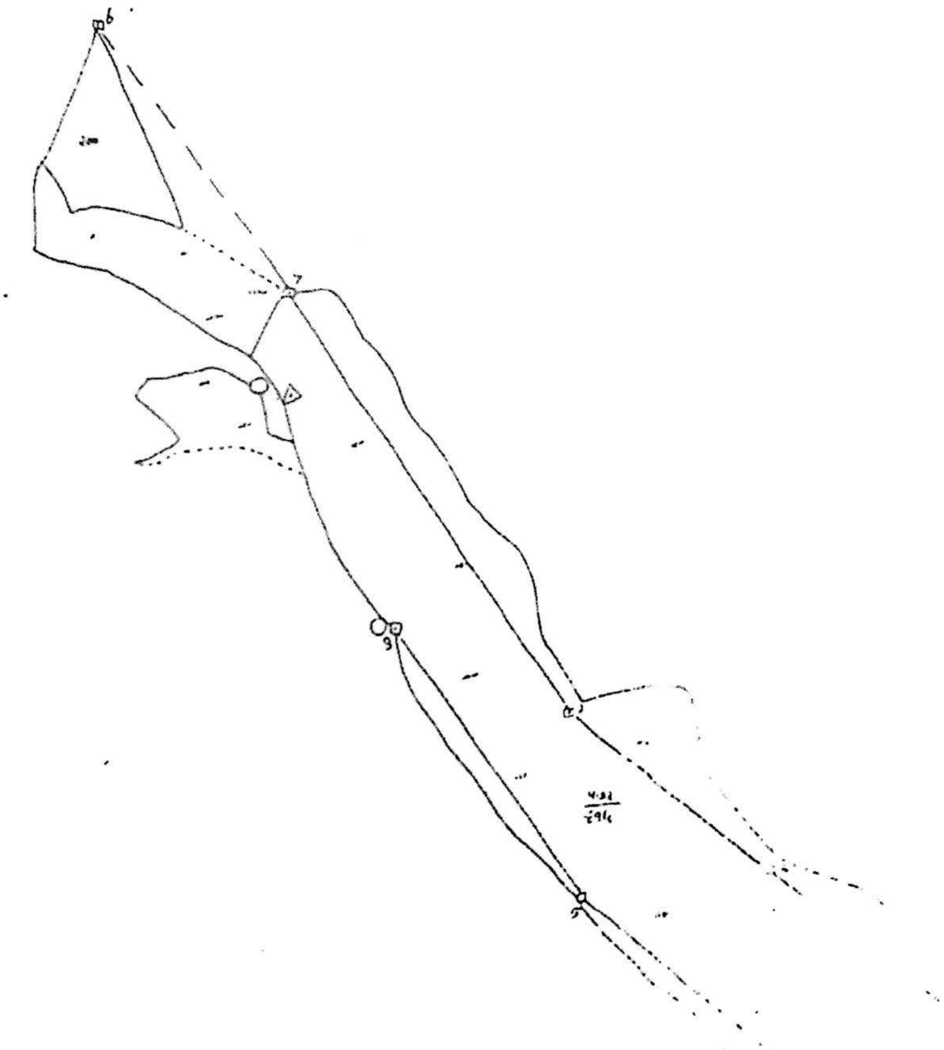

वन गैटिया उर्फ गेठया जीट नं०-२
कोटा
छ० खाता
तहसील नैनीताल
जिला - नैनीताल
माप दण्ड ८० कं० = १ मील
सन् १९५४-५५ ई० कृषि सम्वत् १३६२.